

दिल्ली सरकार ने मौजूदा शराब नीति तीन माह के लिए बढ़ाई

लाइसेंसधारियों को जमा करानी होगी तीन माह की फीस

नई दिल्ली। भाजपा सरकार ने मौजूदा आबकारी नीति को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। आबकारी विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि एल-1 (भारतीय शराब), एल-1एफ (विदेशी शराब) और एल-2 (बीयर) लाइसेंसधारियों की वैधता 30 जून तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए तीन माह की फीस जमा करनी होगी। यह नीति पहली बार सितंबर 2022 में लागू की गई थी, जब तत्कालीन आप सरकार ने विवादित नई आबकारी नीति (2021-22) को अचानक रद्द कर दिया था। इस नीति को पिछले साल सितंबर में भी छह महीने के लिए बढ़ाया गया था, जिसकी समयसीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही थी। दरअसल, नई नीति पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं



अब नई सरकार सत्ता में आ चुकी है, इसलिए इसमें सुधार की प्रक्रिया में और समय लग सकता है। ऐसे में पुरानी नीति को एक अस्थायी समाधान के रूप में अगले तीन महीने तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर लंबे समय से अनिश्चितता बनी हुई है। वर्ष 2021-22 में लागू नई आबकारी नीति को भूष्याचार के आरोपों के कारण रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद पुरानी नीति को अस्थायी रूप से लागू किया गया। हालांकि, यह अस्थायी समाधान पिछले दो वर्षों से चलता आ रहा है। नई सरकार के गठन के बाद उम्मीद जराई जा रही है कि आगामी महीनों में नई आबकारी नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे शराब बिक्री और राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को स्थिरता मिल सकेगी।

फतेहाबाद डिपो की रोडवेज बस ने कार को मारी टक्कर

हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत



सार-समाचार

पूर्व विधायक छोकर व बेटों की 44.55 करोड़ की संपत्ति कुर्क प्राप्ति। पार्टी दिल्लीजन्स (ई) के प्राप्ति के लिए

गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय की टीम ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक धर्म

The image shows a newspaper page with a large headline in Hindi. Below the headline is a photograph of a white police van with 'Noida' and 'POLICE' written on it. The van has a blue and yellow checkered pattern on its side. To the left of the van is a column of text in Hindi. To the right of the van is another column of text in Hindi.

ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
मेहरा चोपाना। कर्ज के बोले मेरे दबे लोन प्रावेंट ते जटिला

सड़कों से लापारस परुजा का हटान

शेयर बाजार में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर 16.35 लाख ठगे

दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई आप संयोजक अरविंद के जरीवाल पर एफआईआर दर्ज

नहीं दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद के जीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम (पीपीए) के कथित उल्लंघन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की आगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। इससे पहले मामले की सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तत्कालीन सीएम अरविंद के जीवाल और मटियाला सीट से विधायक गलब सिंह के

खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पुलिस ने शिकायत पर जांच नहीं की ऐसे में होड़िंग किसने लगाए और क्यों लगाए। इसकी जांच जरूरी है। अदालत ने पुलिस को 18 मार्च तक मामले में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले 2022 में द्वारका स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। जिसके बाद सत्र न्यायालय ने इसे दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में भेज दिया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दबाविकारी नेहा मित्तल ने अपने आदेश में कहा था कि पुलिस की स्टेट्स रिपोर्ट में लिखा है कि

स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का तारीख में बताए गए स्थान पर कोई होड़िंग या बैनर नहीं दिखाई दिया है। जबकि शिकायत की तारीख पर बैनर होड़िंग की स्थिति पर पुलिस ने चुप्पी साधा ली है। ऐसे में यह जरूरी है कि इस मामले की जांच की जाए कि होड़िंग बैनर किसने और क्यों लगाए हैं। राज्य की तरफ से पेश अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि समय बहुत अधिक हो चुका है और साक्ष्य के तौर पर दाखिल की गई तस्वीरों में होड़िंग और बैनर बनाने वाली कंपनी या संस्था का नाम नहीं लिखा है। जिसे अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि मामले में शामिल लोगों की

सड़कों पर घूमते लावारिस पशुओं को हटाने की प्रक्रिया तेज होगी। निगम ने मवेशी पकड़ने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। नए वाहनों को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लावारिस पशुओं से दिल्लीवासी परेशान हैं। साथ ही, ये समस्या नगर निगम के लिए भी सिरदर्द बनी हुई है। निगम ने दो माह

प्रशासन ने बताया कि पिछ्ले साल 16251 लावारिस पशु सड़कों से पकड़े गए। इस साल फरवरी तक दो हजार से ज्यादा पशुओं को पकड़ा गया है। निगम का पशु चिकित्सा सेवा विभाग सड़कों से गाय, भैंस, बंदर और कुत्तों को पकड़ता है। गायों को केवल खानपुर में मानव गोशाला, डाबर हेड़ में कृष्णगोशाला, हेरेवती में गोपाल गोसदन और सुल्तानपुर डबास में श्रीकृष्ण गोशाला में भेज दिया जाता है। चारों गोशालाओं में 19838 गायों को रखने की जगह है। इन गोशालाओं की देखरेख के लिए निगम को पैसे दिए जाते हैं। भैंसों को तिमारपुर में नीलामी के लिए भेजा जाता है। कुत्तों को टीका लगाने और बंध्याकरण करने के बाद वर्धी छोड़ दिया जाता है, जिनके साथ 120 कर्मचारी इन पशुओं को पकड़कर उचित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन

बैंक मैनेजर बनकर फ्लैट मालिक के साथ 4.45 लाख रुपये की हर्जी

गुरुग्राम। साइबर अपराध थाना मानेसर क्षेत्र में जालसाज ने एसबीआई का चौफ मैनेजर बताकर एक फ्लैट मालिक से 4.45 लाख रुपये की ठांगी कर ली। खाते में रुपये नहीं आने की बात कहकर आरोपी फ्लैट मालिक से बार-बार रुपयों की ट्रांजेक्शन कराता रहा। पीड़ित फ्लैट मालिक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जालसाज के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-89 की ट्यूलिप सोसाइटी निवासी विकास कुमार ने

कई बार रुपये भिजवाने के बाद यह भी कहा गया कि रुपये नहीं मिले, तो फ्लैट मालिक ने 19 हजार रुपये भेज दिए। इसके बाद 24 जनवरी को फ्लैट मालिक ने आरोपी विकास कुमार को 19000 रुपये, 57000 रुपये से दो ट्रांजेक्शन किए। वहीं, 25 जनवरी को आरोपी ने फ्लैट मालिक को 10 रुपये डालने का बोला, तो उन्होंने 10 रुपये भेज दिए। इसके बाद 27 जनवरी को 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये, 80,000 रुपये, 30,000 रुपये, 60,000 रुपये ट्रांसफर किए। ऐसे में आरोपी विकास कुमार ने फ्लैट मालिक विकास कुमार के साथ धोखाधड़ी करके 4.45 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराकर ठगी की है। जांच अधिकारी सुनील कुमार का कहना है कि शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के नाम विकास कुमार हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने उनके बारे में जांच की है।

तहसील कर्मचारियों से परेशान व्यक्ति ने आत्मदाह का किया प्रयास



जमान पर कुछ लाते भी काट गए।
पिंता की मौत के बाद वेदपाल ने वर्ष
2018 में सदर तहसील के
तहसीलदार की कोर्ट में केस डाला
और बैनामा को गलत बताकर
खारिज करने की अपील की। जिस
पर तहसीलदार कोर्ट ने वेदपाल के

पक्ष में फैसला सुनाकर कस बनामा खारिज कर दिया। दूसरे पक्ष ने इस फैसले को एडीएम प्रशासन की कोर्ट में चुनौती दी। नवंबर, 2024 में एडीएम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। उसके बाद से पीड़ित तहसील के चक्र लगा रहा है। वहाँ हाल हा म तहसील से लखपाल टाइम के साथ मैके पर पहुँचे थे। टाइम के साथ दूसरे पक्ष के लोग भी थे। इस बात से वेदपाल परेशान था। साथ ही तहसील से मदद नहीं मिलने के कारण नाराज था। परेशान होकर बृहस्पतिवार को वह पेट्रोल लेकर संबंधित व्यक्ति से पूछताछ चल रही है। उच्च अफसरों के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी।

सड़कों से लावारिस पशुओं को हटाने की प्रक्रिया तेज करेगा नगर निगम

14.45 लाख रुपये की छंगी

चाय विक्रेता को पीटने का आरोप लगाकर लोगों ने जमकर हँगामा किया। नाराज लोगों ने बीके चौक पर जाम लगा दिया। उच्च अधिकारियों के आश्वस्तन के बाट जाम को स्वेच्छा गया। बहीं दसरी

जापकारना के जाकासन पर बाद जान पर खाला निया वह, झूस्त और पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला किया और वर्दी फाड़ने की कोशिश की। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि मामले में बुजुर्ग समेत सात नामजद लोगों के खिलाफ हाथापाई करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बीके केसी रोड पर स्थित बीटीडब्ल्यू रेस्टोरेंट के पास एनआईटी पांच निवासी आनंद प्रकाश ने बताया कि वह चाय की दुकान लगाते हैं। आरोप है कि मंगलवार की देर शाम एनआईटी पुलिस टीम उनके पास पहुंची और मारपीट के एक के स में किसी व्यक्ति का नाम जबरन लेने का दबाव बना रही थी। उन्होंने विरोध किया तो पुलिस मारपीट करने लगी। इस दौरान उनकी पत्नी बचाने के लिए आई तो उसे भी अपशब्द कहा। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच हुई हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद लोगों ने एनआईटी थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उच्चाधिकारियों के समझाने के बाद लोग शांत हुए। वर्दी, आनंद प्रकाश, गीता आदि का कहना था कि

